न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र (6ए) संख्या 25 सन् 2018 निर्णय दिनांक 27.04.2022

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चूरू

– प्रार्थी

बनाम

नानूराम पुत्र आसाराम होटल मालिक मै0 श्रवण इच्छापूर्ति बालाजी होटल, इच्छापूर्ति बालाजी के सामने, सरदारशहर जिला चूरू

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

पैरोकार सरकार प्रवर्तन निरीक्षक, चूरू

–:: निर्णय ::–

प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, चूरू की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया कि दिनांक 06.04.2018 को घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक दुरूपयोग रोकने के लिये चलाए गए अभियान के समय मै0 श्रवण इच्छापूर्ति बालाजी होटल, इच्छापूर्ति बालाजी के सामने, सरदारशहर की जांच की गई। जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी भारत गैस एस.आर. नं.–219769–एस, भारत गैस एस.आर. नं.–999043–एस एक भट्टी, एक प्लास्टिक पाईप व एक रेग्यूलेटर से लगाकर मिठाई बनाकर विक्रय कर व्यवसायिक दुरूपयोग व घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। मौके पर नानूराम पुत्र आसाराम होटल मालिक मै0 श्रवण इच्छापूर्ति बालाजी होटल, इच्छापूर्ति बालाजी के सामने, सरदारशहर जिला चूरू मौके पर ही उपस्थित मिले। जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या 219769–एस भारत गैस कम्पनी का जिसका कुल वजन 26.6 किग्रा में एवं खाली सिलेण्डर का वजन 15.6 किग्रा में व जब्त सिलेण्डर में गैस का वजन 11.0 किग्रा में था। एक अन्य गैस सिलेण्डर संख्या 999043–एस भारत गैस कम्पनी का जिसका कुल वजन 20.0 किग्रा में एवं खाली सिलेण्डर का वजन 15.8 किग्रा में व जब्त सिलेण्डर में गैस का वजन 4.2 किग्रा में था। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर दुरूपयोग, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खंड 3(ख) (ग) का उल्लंघन करने से यह आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक भट्टी, एक प्लास्टिक पाईप व एक रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें। चूकि एलपीजी गैस एक उड़नशील वस्तु है। अतः इसके अंतरिम–निस्तारण का समुचित आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी की जरिये सम्मन की गई। तलबी होने के उपरान्त अप्रार्थी हाजिर नहीं आया इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सरकारी पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में कहा कि उक्त प्रकरण में संयुक्त जाँच दल द्वारा कार्यवाही की गई है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा किसी तरह के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। क्योंकि प्रकरण में फर्द मौका, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगी आदि अप्रार्थी की उपस्थिति में ही बनाई गई है। सरकारी पैरोकार द्वारा यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर दुरूपयोग करने व द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खंड 3(ख) (ग) का उल्लंधन करने से यह आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की कार्यवाही करें एवं एलपीजी गैस उड़नशील वस्तु हैं, के अन्तिम निस्तारण का समुचित आदेश फरमावें।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहतं जिला रसद अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों, सरकारी पेरोकार द्वारा की गयी बहस तथा फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अप्रार्थी द्वारा सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेण्डर का प्रयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नहीं कर वाणिज्यक उपयोग हेतु कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का अवैध रूप से उपयोग किया है। फर्द जप्ती पर प्रवर्तन निरीक्षक, अप्रार्थी, 02 गवाहान के भी हस्ताक्षर है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर के अघरेलू प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने का फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी, चूरू द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे से दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक भट्टी, एक प्लास्टिक पाईप व एक रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें तथा प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू